रामजीलाल V/s अमरनाथ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा० पत्र 212 RTAct	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/9/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उप०। बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया है कि आराजी ख० नं० 7491 रकबा 13 बिस्वा कस्बा करौली सायलान की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जो पुरखा सुखराम के समय की है। सजरा हाकिम दर्ज है रियासत काल मे सम्वत 1978 से 1981 मे उक्त आराजी पुरखा लल्लू व मूला के शामलाती खातेदारी मे दर्ज थी। सैटिलमेन्ट पूर्व उक्त आराजी का ख०नं० 5673, 5675 था मूला लावल्द फौत हो गया लल्लू के फौत हो जाने पर उसके लडको मे से कुम्हा अविवाहित फौत हुआ शेष दोनो पुत्र रूपी देवीलाल उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहे रूपी देवी लाल के वारिशान के रूप मे सायलान उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार काबिज है। सैटिलमेन्ट पूर्व ख० नं० 5673, 5675 मे से ख० नं० 5675 का रकबा 6 बिस्वा ख० नं० 5673 का मिन रकबा 7 बिस्वा मिलाकर ख०नं० 7491 सैटिलमेन्ट हाल मे 13 बिस्वा किया गया काल मे करीब 1 बिस्वा मे सायलान की आबादी मकानात पाटौर फोश बने हुये है जिसमे सायलान मय परिवार रहते है। सायलान को उक्त आराजी मय आबादी विरासत से पुरखो से प्राप्त हुई है। चारो तरफ से उक्त खेत की पट्टियो से हदबन्दी कर रखी है। गैर सायल अमर सिंह एक आदमी के साथ हमारी आराजीयात पर आकर कहने लगा कि पटवारी ने सायलान की जमीन हम…	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बताती है। मैं इसे बेचूंगा क्योंकि भूमि सायलान के कब्जे काश्त में चली आ रही है। और कब्जे सायलान में दखल देना एवं जबरन विक्रय करना चाहता है दि० 20/5/17 को नकल प्राप्त हुई तब सायलान को गैर सायलान के डेलिमेशन के वक्त गलत खातेदारी इन्द्राज हो जाने की जानकारी हुई है। और प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर गैर सायलान को भूमि को विक्रय नहीं करने एवं सायलान के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायलान ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद ग्रस्त आराजी हमेशा हमेशा से गैर सायल एवं गैर सायल के पूर्वजों के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। गैर सायल भूमि का स्वामी है। उक्त आराजी सायलान के पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की नहीं है ना कभी रही है सुखराम का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है ना ही लल्लू व मूला का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध रहा है। सायलान सुखराम लल्लू एवं मूला के वारिसान नहीं है। ना ही उक्त आराजी लल्लू मूला के शामलाती खातेदारी व कब्जे की रही है रूपी व देवीलाल आराजी पर कभी काबिज काश्त नहीं रहे हैं। आराजी के कागज में सायलान की रिहायश व आबादी मकानात बने हुए नहीं है ना वादीगण की रिहायश है। सायलान ने समस्त तथ्य मिथ्या एवं काल्पनिक दर्ज किये है स्वयं ऐसी खातेदारी का [illegible] नहीं है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त आराजी 50 वर्ष से गैरसायलान के व गैर सायल के पूर्वजो के खातेदारी व कब्जे की है। भूमि को गैरसायल का बेचने की सायलान से कहने का कोई प्रश्न नही है। कोई हदबन्दी व पटीया सायलान की नही है सायलान गैरसायल के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वकील सायलान का बहस मे कथन है कि वादग्रस्त भूमि सायलान के पुरखा सुखराम, लल्लू, मूला व रूपी देवी लाल के समय की पुश्तैनी है। सायलान भूमि पर काबिज काश्त है। सैटलमेन्ट सम्वत 2015 मे गैरसायल के हक मे गलत खातेदारी हुई है। और गैरसायल भूमि को विक्रय कर सायलान के कब्जे मे दखल देना चाहता है। भूमि की खातेदारी खसरा रीप सम्वत 1970 से 1981 सायलान के पूर्वजो के खातेदारी सुखराम, मूला लल्लू के नाम की पेश की है। प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल को ता फैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील गैरसायल का बहस मे कथन है कि भूमि गैरसायल व गैरसायल के पुरखो के समय की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। सायलान व सायलान के पूर्वजो का भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त व खातेदारी नही रही है सायलान ने गलत तथ्यो के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है खसरा रीप खातेदारी का दस्तावेज नही है। प्रा०	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 [illegible]
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्र सायलान खारिज किया जावे। बहस वकील उभयपक्षकारान का मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2015 मे लौहरे व कलुआ पुत्रान बल्ला जाति माली के खातेदारी मे एवं सम्वत 2064 से 2067 मे गैरसायल अमरनाथ पुत्र कलुआ के खातेदारी मे अंकित है। एवं खसरा पीप सं० 1978 से 1981 मे बल्ला मूला पि० सुखराम कौम काछी के कृषक के रूप मे अंकित है। इस प्रकार 50 वर्ष से अधिक समय से गैर सायल व पिता गैरसायल व पूर्वजो के खातेदारी मे दर्ज है। जिससे प्राईमाफेसी केस सायलान प्रथमद्रष्टया प्रकट नही होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने मे रिकार्डेड खातेदार गैरसायल को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी सायलान भूमि के खातेदार नही होने से सायलान को कोई क्षति व असुविधा नही है। प्रार्थना पत्र सायलान सारहीन है चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ शामिल रहे। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Devendra Singh Parmar Date: 2020.09.25 10:51:35 IST Reason: SelfAttested करौली (राज०)

Scanned with CamScanner